कमला देवी बेवा छीतर लाल रेगर नि. पण्डेर

बनाम

महावीर पिता छीतर लाल रेगर नि. पण्डेर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 212, RTA मुकदमा नं. 403 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
27.09.2021	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी ने रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 सं 4 को आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तह. जहाजपुर की आराजी नं0 1846, 1848, 849, 1850, 3154, 3254, 4860/5 कुल किता 07 रकबा 2.9947 है. भुमि हस्तान्तरण नही करे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली आगामी दिनांक 01.11.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	
08/10/21	प्रार्थी ने प्रार्थी अभियोग पत्रावली दाखिल दिये जाने बाबत प्रार्थना किया पत्रावली निर्णय हेतु तलब की गई। प्रार्थी ने प्रकरण के पश्चात की बीच आपसी समझौता हो चुका है प्रकरण को खारिज करने बाबत निवेदन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली प्रेषित पुराना रेकार्ड रखा जाये कि कर दी। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	नि. कमला

Scanned with CamScanner